न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2020 / 34 दर्ज तिथिः– 31.08.2020

1. शारदा पुत्री श्री खूमाराम पत्नी सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू

...............प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
3. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
4. रूकमणी पुत्र श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
5. श्रामावतार पुत्र श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
6. लिछमा पुत्री श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
7. श्रवणी पुत्री श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
8. संतोष पुत्री श्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
9. सिलोचना पुत्री खूमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
11. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कार्यालय चूरू तहसील व जिला चूरू
12. यूको बैंक चूरू जरिये शाख प्रबंक

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– नरेन्द्र कुमार शर्मा
अप्रार्थी :– कानसिंह, सुरेश शर्मा, अनन्तराम सोनी

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थीनी ने श्रीमानजी के न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अनुवान का वाद प्रस्तुत कर दिया है, सिमें प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी–परी उम्मीद है।
2. यह कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 एक ही परिवार के सदस्य व आपस में सगे भाई बहन है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 ग्राम खींवासर तहसील व जिला चूरू में निवास करते है।
3. यह कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 की संयुकत खातेदारी, कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 162 तादादी 6.4497 हैक्टेयर वाके रोही खींवासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है, सिमें प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 का 1 / 10 हिस्सा, प्रत्येक का खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में ... इसी प्रकार प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 की संयुक्त खातेदारी की कृषि ... खसरा नम्बर 171, 177 कुल तादादी 20.5758 हैक्टेयर रोही मौजा ... चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वादगत कृषि भूमियों का मोके पर रेतीले टिब्बे व उपजाउ किस्म की भूमि के मध्य नजर रखते हुए आपस में अंटवारा कर लिदया ह", तथा अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है।

5. यह कि खाता शामिल रहने से पक्षकारों में काश्त के समय लूंग, पाला व भूमि की किस्म लेकर तनाजा रहता है, इसलिए प्रार्थीनी के लिये आवश्यक हो गया है किवह अपने खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग की कृषि भूमि का खाता व लगान करवाने की अधिकारी है,

6. यह कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 कहा व कहलवाया कि साथ चल कर प्रार्थीनी का 1/10 हिस्सा की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग कायम करवा देवे, मगर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 टालमटोल करते रहे व आखिर में दिनांक 25.08.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 टालमटोल करते रहे व आखिर में दिनांक 25.08.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया।

7. यह कि प्रार्थीनी एक सीधी साधी महिला है तथा अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 चालाक व राजनैतिक पहूच वाले व्यक्ति है, जो प्रार्थीनी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी देते रहते है, अप्रार्थी संख्या 01 से 09 प्रार्थीनी के सीधेपन का लाभ उठाते हुये, राजनैतिक पहुंच के बल पर प्रार्थीनी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीनी कमजोर महिला है, तथा अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है, इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है तथा इस कृषि भूमियों में प्राथीनी के हिस्से में नुकसान कारित करते है तो प्रार्थीनी को अपूर्तीनिय क्षति हागी।

अतः प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 ,05 की ओर से कानसिंह व अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से सुरेश शर्मा व अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से अनन्त राम सोनी ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 03 ,04 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित अधिवक्ताओं को बार—बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने इनका जवाब बंद किया गया तथा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया नवीनतम जमाबंदी का ऑनलाईन अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है प्रार्थीनी का वर्तमान जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं है तथा तीन नये खातेदार है जिनकी ओर से आज दिनांक तक किसी प्रकार का प्रार्थना—पत्र पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया। पत्रावली का सम्पूर्ण परीक्षण किया गया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी का कथन है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 162 तथा खसरा नम्बर 171, 177 में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की संयुक्त खातेदारी है तथा प्रत्येक का 1/10 हिस्सा चला आ रहा है। प्रार्थीनी द्वारा पृथक खाता व लगान कायम करने हेतु संरक्षण की मांग की गई है। पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि नवीनतम जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, अपितु तीन नये खातेदारों के नाम अंकित पाए गए हैं। उक्त नये खातेदारों को वाद में न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उनकी ओर से कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह भी [illegible] कि जब तक प्रार्थीनी का खातेदारी अधिकार वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रथम दृष्ट[illegible] प्रमाणि[illegible]हीं होता तथा सभी आवश्यक एवं प्रभावी पक्षकारों को वाद में सम्मि[illegible] धारा 212 के अंतर्गत कोई अंतरिम संरक्षण दिया जाना न्यायोचित [illegible] उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत तथ्यों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested

विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीनी प्रथम दृष्टया ऐसा मामला स्थापित नहीं कर पाई है, जिसके आधार पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जा सके।

आदेश है कि

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीनी को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह सक्षम विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी आवश्यक पक्षकारों को सम्मिलित करते हुए उचित वाद अथवा आवेदन प्रस्तुत कर सके।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested